

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक-11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक-07.08.2014 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-


क.स.	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1.	श्रीमती रितु परमार, व्या. इतिहास राउमावि, बिछीवाडा-डुंगरपुर	21.06.16 से 29.06.16 22.08.16 से 27.08.16 16.09.16 से 13.10.16 15.10.16 से 18.10.16 04.11.16 से 30.11.16 02.12.16 से 17.12.16	09 दिन 06 दिन 28 दिन 04 दिन 27 दिन 16 दिन
		कुल अवकाश	90 दिन

(W/S/O)  
(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / संस्था / सी2 / इति-वाणि / स्थायी. / अ.अवकाश / 18 दिनांक:- 14/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. संबधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय,
3. संबधित ब्लाक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबधित शाला / संस्था प्रधान / संबधित कार्मिक
6. रक्षित प्रत्रावली

  
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर